संख्या:-28/2026/ 304/छप्पन-2026-64/2011

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांक: 16 मार्च, 2026

विषयः नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई में पायलट फिक्स्ड विंग के 01 पद को समाप्त कर पायलट रोटर विंग के 01 पद के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 07/2021/1887/छप्पन-2020-64/2011 दिनांक 28 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई तथा फ्लाईट सेफ्टी इकाई हेतु कतिपय पदों का सृजन / पुर्नगठित किया गया है जिसमें पायलट फिक्स्ड विंग एवं पायलट रोटर विंग के पद निम्नवत है:-

क्र.सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	अर्हता/अनुभव	मासिक पारिश्रमिक
परिचालन इकाई					
1.	पायलट (रोटर विंग)	01 पद उपरान्त (सृजन कुल 09 पद निर्धारित)	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार।	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली एवं शासनादेश में किए गए प्राविधानानुसार।	नागरिक उड्डयन विभाग (परिचालन इकाई) भर्ती नियमावली-2011 प्राविधानित व्यवस्थानुसार में अथवा समय-समय पर संशोधित सेवा नियमावली एवं शासनादेश में किए गए प्राविधानानुसार
2.	पायलट (फिक्स्ड विंग)	पायलट (फिक्स्ड विंग) के पदों को पुनर्निधारित (पूर्व निर्धारित 10 पद के सापेक्ष 01 पद समाप्त) करते हुए कुल 09 पद निर्धारित किए जाते हैं जिनमें से 03 पद को-पायलट हेतु प्राविधानित है।			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल पायलट फिक्सड विंग के 01 पद को समाप्त करने तथा पायलट रोटर विंग के 01 नवीन (अतिरिक्त पद) को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि पदनाम, वेतनमान, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, आयु संबंधित संवर्ग हेतु प्रख्यापित विभागीय संवर्गीय नियमावलियों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप है।

(2) पायलट फिक्सड विंग के 01 पद को समाप्त करने तथा पायलट रोटर विंग के 01 नवीन (अतिरिक्त पद) को सृजित किये जाने हेतु न्यूनतम वास्तविक कार्यात्मक आवश्यकता, वित्तीय औचित्य एवं मितव्ययता के समन्वय सिद्धान्तो तथा विभागीय स्थिति के दृष्टिगत पद पर भर्ती / नियुक्ति की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन का ध्यान रखा जायेगा।

(3) ''पद-सृजन सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था का समावेश सुसंगत सेवानियमावली में यथाप्रक्रिया एवं यथासमय सुनिश्चित किया जायेगा।''

3- उपर्युक्त सृजित होने वाले पद पर होने वाला व्यय विभागीय अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा शीर्षक'' 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114 वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-245/दस-2025-26 दिनांक 16 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या:-28/2026/304/छप्पन-2026-64/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अभिनव कुमार चौरसिया)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।